पारिशिष्ट –एक

प्रश्न सं. [क्र. 3459]

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक 3459 द्वारा हिरालाल अलावा सत्र मार्च –2022 के उत्तरांश "ख" भाग

क्र.	वनमण्डल का नाम	किसानों की संख्या	वनखण्ड में शामिल की गई किसानों की निजी भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1	उत्तर बालाघाट	77	103.738
2	दक्षिण बैतूल	13	45.013
3	पश्चिम बैतूल	31	20.430
4	विदिशा	0	401.666
5	पूर्व छिन्दवाड़ा	1583	3382.646
6	पश्चिम छिन्दवाड़ा	455	686.585
7	दक्षिण छिन्दवाड़ा	474	655.630
8	सीधी	171	586.798
9	सिगरौली	161	642.500
10	सतना	496	1837.210
11	दमोह	18	22.701
12	उत्तर सागर	0	313.081
13	दक्षिण सागर	0	1161.515
14	नौरादेही	4	27.092
15	उमरिया	820	464.280
16	उत्तर शहडोल	1220	1659.740
17	दक्षिण शहडोल	660	881.098
18	अनूपपुर	602	1268.788
19	बांधवगढ़ टाईगर	0	691.670
20	वन विकास निगम	0	123.873
21	उत्तर सिवनी	676	895.909
22	दक्षिण सिवनी	240	577.471
23	शिवपुरी	3102	4418.896
24	गुना	2734	6476.388
25	अशोकनगर	1014	2505.751
26	उत्तर पन्ना	116	289.002
27	दक्षिण पन्ना	967	1229.620
28	दतिया	60	133.100
29	होशंगाबाद	115	205.261
योग			31707.452

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मन्त्रालय, भोपाल

(डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख
मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट 'दो'

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5459 द्वारा डॉ हिरालाल अलावा के [illegible]
का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2008

क्रमांक एफ 22/82/08/10-3

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्य प्रदेश

विषय: भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित निजी भूमि को संरक्षित वन दर्शाया जाना।

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 490 सत्र जुलाई 2008 में प्राप्त उत्तर के परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के 27 वनमण्डलों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 की अधिसूचना में सम्मिलित ऐसी निजी भूमि, जिनके मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, को वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं में संरक्षित वन के रूप में दर्शाया गया है।

2. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 3 के अनुसार राज्य शासन केवल उसी वनभूमि या पड़त भूमि को आरक्षित वन अधिसूचित कर सकता है, जो राज्य शासन की सम्पत्ति है अथवा उस पर राज्य शासन का साम्पत्तिक/अनापत्तिक अधिकार है अथवा जिसकी सम्पूर्ण वनोपज या उसके भाग पर राज्य सरकार का अधिकार है। आरक्षित वन गठन हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमि पर राज्य शासन का साम्पत्तिक अधिकार तब तक स्थापित नहीं होता है, जब तक भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 (2) (iii) के अनुसार भू अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत राज्य शासन के पक्ष में उसका अर्जन न कर लिया जावे। इस भू अर्जन के बाद भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 19 तक की कार्यवाही पूर्ण होने पर ऐसी भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित किया जाता है, न कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन। अतः भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित ऐसी निजी भूमियों को संरक्षित वन के रूप में दर्शाया जाना त्रुटिपूर्ण है।

3. उक्त त्रुटि को दूर करने के लिये निर्देशित किया जाता है कि-

i. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित ऐसी भूमि जो निजी भूमि है तथा जिसके भू अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है, को कार्य आयोजना में निजी भूमि के रूप में ही दर्शाया जाये। इस हेतु जो तालिका कार्य आयोजना में बनेगी उसमें यह दर्शाया जावेगा कि "भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमियों की सूची।"

ii. भू अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ऐसी निजी भूमि शासकीय भूमि हो जाने के कारण उसे कार्य आयोजना में उस समय तक शासकीय भूमि दर्शाई जावे, जब तक भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत उसे आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने की कार्यवाही पूर्ण न हो जाये।

iii. यदि ऐसी किसी निजी भूमि को संरक्षित वन बनाने की अधिसूचना भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत जारी हो गयी हो, तो अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रति सहित राज्य शासन की जानकारी में लाया जावे।

iv. प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर यह ज्ञात करें कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 में अधिसूचित निजी भूमि, जिसके अर्जन की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, उसे कार्य आयोजना में संरक्षित वन के रूप में किस आधार पर दर्शाया गया है?

v. उक्त निजी भूमियों पर भूमि स्वामी अपने अधिकारों का उपयोग निर्बाध रूप से कर रहे हैं या नहीं? अगर कोई बाधा हो तो उसका विस्तृत विवरण दें।

vi. निजी भूमि के वृक्षों एवं अन्य वनोपज का विदोहन किस तरह किया जा रहा है तथा उससे प्राप्त राशि का भुगतान भूमि स्वामी को किया जा रहा है या नहीं? धारा–4 की अधिसूचना दिनांक से वर्ष 2008 तक इसका वर्षवार पूर्ण ब्यौरा दें।

4. उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन राज्य शासन को उपलब्ध कराने के कष्ट करें।

(रतन पुरवार)
सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग
भोपाल, दिनांक: 11 जुलाई 2008

पृ0कमांक एफ 22/82/08/10–3
प्रतिलिपि–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, भोपाल
2. मुख्य वन संरक्षक, वन भू अभिलेख, भोपाल
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर
4. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी/कार्य आयोजना/अनुसंधान एवं विस्तार)
5. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मन्त्रालय, भोपाल